

1. प्रा.प.: 48/2018 "मगाराम बनाम दाडमी देवी वगैरह"

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 48/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/00311

प्रार्थीगण :-

बनाम

1. मगाराम पुत्र पुनमा, जाति कुमावत, निवासी कुम्हारों का बास, धनापुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती विमला पत्नी स्व. शांतिलाल, जाति कुमावत, निवासी कुम्हारों का बास, धनापुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

अप्रार्थीगण :-

1. श्रीमती दाडमीदेवी पत्नी धरमारा, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारों का बास, धनापुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत बामनेरा, पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994


उपस्थित :- प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तरुण उपाध्याय
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज श्रीनाथ

--: निर्णय :-

दिनांक :- 20.10.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.08.2013, मिसल संख्या 109/2011-12 की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 90 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर आराजी ग्राम धनापुरा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली कुम्हारों के बास में कुल क्षेत्रफल 2030 वर्गफीट में अवस्थित है जिसके पड़ोस उत्तर में मोहनलाल का मकान, दक्षिण में शंकर पुत्र मालाराम का मकान, पूर्व में खाली पड़त जमीन व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा अवस्थित है। जैर आराजी पर प्रार्थीगण का 30 वर्षों से आदिनांक तक कब्जा कायम है और समय समय पर कांटों की बाड़ द्वारा दुरस्त करते आ रहे हैं। जैर आराजी पर प्रार्थीगण ने निर्माण करवाने के लिए पूर्व-पश्चिम दिशा की तरफ 50 फीट, तक नीव खोदी और उसके आगे जमीन खाली छोड़कर दक्षिण दिशा में चौड़ाई में 35 फीट तक नीव खोदी तब अप्रार्थी संख्या 01 और उसके पति धरमारा ने न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर में एक स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का दर्ज करवाया तब प्रार्थीगण को पहली बार जानकारी प्राप्त हुई कि अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 05.09.2013 को संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.08.2013 की पालना में पट्टा संख्या 90 जारी किया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया है उसमें अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रार्थीगण की 35 बाई 30 फीट भूमि जो प्रार्थीगण के विवादग्रस्त परिसर की भूमि है उसका पट्टा भी जारी कर दिया है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करते समय प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया व ना ही मौके की स्थिति को जाना। अतः जैर निगरानी पट्टा कूट रचित होने से काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे से संबंधित मिसल का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त मिसल दिनांक 31.03.2012 को दायर करना बताया गया है, परन्तु सम्पूर्ण मिसल में दिनांक 31.03.2012 की कोई आदेशिका नहीं लगी हुई है व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो पट्टा बनाने बावत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है उस प्रार्थना-पत्र में भी कोई दिनांक 31.03.2012 अंकित नहीं है। अतः जैर



जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा बनवाने हेतु जो प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत किया है उसमें अपना पुराना पुश्तैनी कब्जाशुदा मकान बना हुआ दर्ज किया है और उक्त मकान का पट्टा बनवाना चाहा, जबकि आदिनांक तक जैर आराजी पर कोई मकान अवस्थित नहीं है ना ही अप्रार्थी संख्या 01 का या उसके पूर्वजों का किसी भी रूप में कब्जा रहा बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 02 ने मौके पर पर कोई पुश्तैनी मकान होना मान कर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में कायम मिसल में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें ग्राम का नाम, मकान संख्या, पड़ोस, कोई नाप चौक, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान, ना उक्त मकान पर कितने वर्षों से कब्जा है का उल्लेख उपरोक्त में में कुछ भी अंकित नहीं है व ना ही आवेदनकर्ता की उम्र और उसका पता दर्ज किया हुआ है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ कोई नक्शा संलग्न नहीं है ना ही स्थल निरीक्षण शुल्क जमा करवाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा कुटरचित होने से काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा में कायम मिसल में प्रथम आदेशिका दिनांक 05.12.2012 की दर्ज की गई है जबकि प्रार्थीगण की जानकारी अनुसार दिनांक 05.12.2012 को अप्रार्थी संख्या 02 की कोई बैठक नहीं हुई थी व दिनांक 05.12.2012 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो उस आदेशिका में सिर्फ यह दर्ज है कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बामनेरा के गांव धनापुरा में आबादी भूमि में पत्र पेश किया मिसल रजिस्टर में दर्ज कर पटवारी की आबादी खसरा संख्या रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा नक्शा एवं 02 वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश की जावे। उक्त आदेशिका पढ़ने से भी स्पष्ट है कि उसमें आगामी सुनवाई की कोई दिनांक दर्ज नहीं की गई, किन्ही भी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है और जब प्रथम आदेशिका ही दिनांक 05.12.2012 को लिखी जाती है और उसमें मिसल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तो इस विवादग्रस्त पट्टे से संबंधित मिसल दिनांक 31.03.2012 को कैसे दर्ज हो सकती है? इस प्रकार न तो कोई वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई न ही किन्हीं वार्ड पंचों को आदेशित किया गया था कि वे मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट बनावे और न ही कोई रिपोर्ट बनाई और उसके बावजूद भी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया, जो काबिले खारिज है। उक्त मिसल में दिनांक 05.12.2012 में जो पटवारी की आबादी खसरा संख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव लिया गया था उस अनुसार पटवारी को इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और किसी भी पटवारी द्वारा आदेशिका दिनांक 05.12.2012 की पालना करते हुए कोई खसरा संख्या रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। दिनांक 05.12.2012 की आदेशिकामें जो सचिव द्वारा नक्शान बनाने और तीन वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश किया जाना दर्ज किया गया था उसकी पालना में भी सचिव को किसी तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया गया था और सचिव ने भी कोई मौका निरीक्षण कर कोई नक्शा नहीं बनाया था। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में कायम की गई मिसल में आदेशिका दिनांक 05.12.2012 अंकित है उसक आदेशिका में भी आवेदनकर्ता का कोई नाम, पता सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। आदेशिका में गांव का नाम "धनापुरा" बाद में अलग स्याही और अलग हस्तलेख से दर्ज किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट है। तीन वार्ड पंचों के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु उल्लेख अवश्य है परन्तु उसकी कोई टीम गठित नहीं की है। किन्ही तीन वार्ड पंचों के नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा आवेदन के साथ कोई स्थल निरीक्षण शुल्क जमा कराने का भी उल्लेख नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। दिनांक 05.12.2012 की आदेशिका में आगामी बैठक की कोई दिनांक तय नहीं की गई और बिना कोई दिनांक तय किये दिनांक 20.12.2012 की आदेशिका मिसल में दर्ज की गई उस आदेशिका में किसी भी पंच हस्ताक्षर नहीं है। उस आदेशिका में भी बिना किसी कारण और आधार के यह दर्ज कर दिया कि सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया हो जबकि सचिव मौके पर आये ही नहीं थे और मिसल में जो नक्शा लगा हुआ है, उस नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर की जगह खाली है नक्शा बनाने वाले के जो हस्ताक्षर होना अंकित है उसके नीचे उस नक्शा बनाने वाले का कोई नाम उसका पद नाम उसकी कोई मोहर कुछ भी दर्ज



जिला कलेक्टर, ग्वालियर

नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। दिनांक 20.12.2012 की आदेशिका में अस्थाई पट्टा जारी करना बताया गया है परन्तु ऐसा कोई अस्थाई पट्टा जारी नहीं किया गया और आदेशिका दिनांक 20.12.2012 में आपत्तियां मांगने का आपत्ति पत्र एक माह का जारी करना दर्ज किया गया है परन्तु आदेशिका में ऐसा कोई आपत्ति मांगने का आपत्ति पत्र जारी होना आउटवर्ड दर्ज नहीं है। पत्रावली में जो आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस लगा हुआ है वह नोटिस चस्पा करने के लिए किसको दिया गया, किसने व कहां चस्पा किया, कुछ भी दर्ज नहीं है, उस नोटिस पर कोई आउटवर्ड नम्बर दर्ज नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। आदेशिका दिनांक 05.08.2013 में यह भी दर्ज किया गया कि गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये जबकि सम्पूर्ण मिसल में किन्हीं भी गवाहों के कोई बयान लिये नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। आदेशिका दिनांक 05.08.2013 में यह भी गलत व झुठे रूप से दर्ज कर दिया गया कि पुराना कब्जा होने के कारण पट्टा दिया जाये जबकि पुराना कब्जा होना सम्पूर्ण मिसल में किसी भी रूप में साबित नहीं था। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। आदेशिका दिनांक 05.08.2013 में राजस्थान अधिनियम पंचायत राज 1996 के नियम 157 (2) के तहत 200/- में पट्टा जारी करना तय किया गया जबकि उक्त अधिनियम के नियम 157 (2) के प्रावधान इस मामले में लागु नहीं होते थे बावजूद बिना किसी आधार के मात्र 200/- में पट्टा जारी कर दिया गया और वह भी प्रार्थीगण की कब्जाशुदा परिसर को शामिल करते हुए जारी किया गया जो निरस्त होने योग्य है। जैर निगरानी पट्टा बनाते समय कायम मिसल में जो तथाकथित नक्शा मौका होना बताया गया है उस नक्शा मौका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उस समय मौके पर क्या निर्माण किया हुआ है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है और नक्शा मौके में 19,50,000 वर्गफीट पैमाईश का औसत दर्ज है वह मौके पर है ही नहीं। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिजे है। जैर निगरानी पट्टे हेतु आवेदक ने राशि दिनांक 15.09.2013 को जमा करवाई है जबकि ग्राम पंचायत ने पट्टा उससे पूर्व ही दिनांक 05.09.2013 को जारी कर दिया जो संभव ही नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 157(1) के तहत पट्टा सिर्फ पुराने गृहों का ही जारी किया जा सकता है, खाली भू-खण्ड का या बाड़े का नहीं। अतः जैर निगरानी पट्टा जो अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, खारिज फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि जैर आराजी पर प्रार्थी के क्या अधिकार है, जो मैंने सन् 1984 में खरीद रखी है, जिस पर हमारे मकान बने हुए थे, जो कच्चे थे। इसलिए अब हम उक्त आराजी पर पक्के मकान बना रहे हैं तथा प्रार्थीगण के द्वारा मेरे खाली पड़े भू-खण्ड पर एक सामाजिक कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के आधार पर मालिक बनने पर उतारू है। अतः वकील प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दु निम्न हैं:-

1. प्रार्थी के कब्जाशुदा भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया है।
2. पट्टा जारी करने में प्रक्रियात्मक कमियां रखते हुए खाली भू-खण्ड को आवासीय मकान दिखाकर पट्टा जारी किया गया है।

बिन्दु संख्या 01 के सन्दर्भ में यह है कि प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि का पट्टा बनाने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पट्टा जारी करने की तिथी को वांछित भू-खण्ड पर प्रार्थी का कब्जा था। अतः बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध तय किया जाता है।

बिन्दु संख्या 02 के सन्दर्भ में यह है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रक्रियात्मक कमियों बावत् जाँच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित



जिला कलेक्टर, पाली

4. प्रा.प.: 48/2018 "मगाराम बनाम दाड़मी देवी वगैरह"

किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों-प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रक्रिया दूषित (Vitiating) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 9 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जाँच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णतया क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

